

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ 2(7)डीओपी/ए-2/88

जयपुर, दिनांक 5/6/2023

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष अनुभाग (क) पशुपालन अनुभाग के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 3,4,5,6 और 7 तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक 3,4 और 5 तथा उनकी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

3.	पशुधन सहायक	95% सीधी भर्ती द्वारा; और 5% पदोन्नति द्वारा	1. निम्नलिखित विषयों के साथ किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा:- (क) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, या (ख) कृषि, कृषि जीव	पशुधन परिचर	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में न्यूनतम वर्ष की 10 नियमित जिसमें से स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव, और 2. राजस्थान सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था
----	-------------	--	---	-------------	--


1/3

h

			<p>विज्ञान/ जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान, और 2.राजस्थान सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से, पशुधन सहायक का एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा।</p>		<p>से, सहायक का पशुधन एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा।</p>	
4.	पशुधन परिचर	100% पदोन्नति द्वारा	-	पशु परिचर	स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर पाँच वर्ष का अनुभव।	
5.	पशु परिचर	100% सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा।	-	-	जलधारी, सफाईकर्ता और चरवाहा (भेड़) के पदों का <u>पशुधन</u> <u>परिचर</u> के पदों में विलय कर दिया गया है और जलधारी, सफाईकर्ता और

						चरवाहा (भेड) के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को पशु परिचर के रूप में पुनः पदाभिहित किया जायेगा।
--	--	--	--	--	--	--

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
5/6/2023

( रामनिवास मेहता )

संयुक्त शासन सचिव

29/2023

3/3